"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016—आश्विन 1, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम. गीता (भाप्रसे-1997), मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

डॉ. एम. गीता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सोनमणि बोरा सचिव, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण विभाग केवल सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

2. श्रीमती शहला निगार (भाप्रसे-2001), विशेष सचिव, वित्त विभाग, संचालक, बजट एवं संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. डॉ. कमल प्रीत सिंह (भाप्रसे-2002), संचालक, संस्थागत वित्त, संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ करते हुये, संचालक, बजट एवं संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री भुवनेश यादव (भाप्रसे-2006), संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

5. श्री जनक प्रसाद पाठक (भाप्रसे-2007), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन एवं संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी (भाप्रसे-2008), कलेक्टर, कोण्डागांव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्री समीर विश्नोई (भाप्रसे-2009), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है.

8. श्री विपिन मांझी, (भाप्रसे-2009), अपर कलेक्टर जिला कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, लोक आयोग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री विपिन मांझी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् सचिव, लोक आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, (भा.प्र.से.-2005) आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं संचालक, जनसंपर्क, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, जनसंपर्क के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-2/2016/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2016-एआईएस (I)-बी, दिनांक 26-08-2016 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री पदुम सिंह एल्मा	26-08-2016	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री रमेश कुमार शर्मा	26-08-2016	संचालक भू-अभिलेख तथा उप सचिव राजस्व एवं संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार.
3.	श्री धर्मेश कुमार साहू	26-08-2016	उपायुक्त, संभागायुक्त कार्यालय, बिलासपुर

2. सरल क्र. 3 पर दर्शित अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत उपायुक्त, संभागायुक्त कार्यालय बिलासपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विज्ञापन

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 2497/एफ 21/01/2016/13/2.—छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में क्रमशः निम्नांकित पद भरने के लिये आवेदन आमंत्रित है :—

क्र.	कंपनी का नाम जिसमें नियुक्ति की जानी है	पदों का विवरण		वेतनमान तथा अन्य सुविधाएं
		पद	पदों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड.	डायरेक्टर	01	45,000-1,250 (2)-48,400-1,550 (18)-76,300 तथा रुपये 5,000 अतिरिक्त देय. वेतन के अतिरिक्त कंपनी के प्रचलित नियम के अधीन महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा आदि देय है. दिनांक 01-04-2014 से वेतन पुनरीक्षण अपेक्षित है.
2.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड.	डायरेक्टर	01	
3.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड.	डायरेक्टर	02	

आवेदन प्रपत्र सहित, रिक्त डायरेक्टर के पद, पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि का ब्यौरा छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाईट www.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है.

निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर अंग्रेजी में टंकित आवेदन 04 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें शैक्षणिक, व्यवसायिक योग्यताओं एवं अनुभव के विस्तृत ब्यौरे सहित पूर्ण करीकुलम-वाइटे (सी.व्ही.) सम्मिलित होना चाहिए. आवेदन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, कक्ष क्रमांक-एस-1-13 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के पते पर उचित माध्यम से भेजा जाना चाहिए जो इस विज्ञापन की प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

विज्ञापन

नया रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 2497/एफ 21/01/2016/13/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत कंपनियों में डायरेक्टर के निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है.

डायरेक्टर के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव, आदि आर्हताओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है. इच्छुक अभ्यर्थियों के निम्नलिखित तालिका में दर्शित अनिवार्य अर्हताओं के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सम्बोधित आवेदन विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर 492002 प्राप्त हो जाने चाहिए. नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

क्र.	कंपनी का नाम	नियुक्ति हेतु रिक्त पद	शैक्षणिक अर्हता	आयु सीमा	अनिवार्य अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी	डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक	दिनांक 01 जनवरी 2016 को न्यूनतम 58 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव. **तथा** पॉवर जनरेशन प्लांट के संचालक/संधारण क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर 6 वर्ष का कार्य अनुभव.
2.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी	डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक	दिनांक 01 जनवरी 2016 को न्यूनतम 58 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव. **तथा** राज्यान्तरिक (intra-state)/अंतर्राज्यीय (inter-state) हाईवोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के संचालन/संधारण क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर 6 वर्ष का कार्य अनुभव.
3.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी	डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक	दिनांक 01 जनवरी 2016 को न्यूनतम 58 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव. **तथा** विद्युत उप पारेषण/निम्नदाब वितरण प्रणाली के संचालन/संधारण क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 06 वर्ष का कार्य अनुभव.
4.	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी	डायरेक्टर (कमर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या चार्टेड एकाउण्टेट सह विधि स्नातक	दिनांक 01 जनवरी 2016 को न्यूनतम 58 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	मुख्य अभियंता या उससे वरिष्ठ पद पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव. **तथा** विद्युत वितरण क्षेत्र के वाणिज्यिक तथा विनियमन क्षेत्र में अपर मुख्य अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 3 वर्ष या अधीक्षण अभियंता से अनिम्न पद पर न्यूनतम 06 वर्ष का कार्य अनुभव.

2. **अन्य शर्तें :—**

i. अभ्यर्थी कलर ब्लाइण्ड नहीं होना चाहिए.

ii. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से "फिटनेस सर्टिफिकेट" प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा. उसके बाद ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा.

3. **वेतन :—** डायरेक्टर के पद के लिए कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद के लिए निर्धारित वेतनमान तथा रुपये 5000 की अतिरिक्त देय होगी. वेतन के अतिरिक्त कंपनी के प्रचलित नियमों के अधीन महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा आदि देय होंगे. सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को देय कुल राशि की गणना पेंशन की राशि घटाकर की जाएगी.

4. **नियुक्ति की कालावधि :—** विद्युत कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष के लिए रहेगी.

5. **चयन प्रक्रिया/नियुक्ति का स्वरूप :—**

(i) नियत दिनांक तक प्राप्त सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदनों के अभ्यर्थियों में से उपयुक्त उम्मीदवार का चयन राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा.

(ii) चयन समिति का अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा नियुक्ति आदेश प्रसारित किया जाएगा.

(iii) संचालक पद पर नियुक्ति को छत्तीसगढ़ के संविदा नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा नियम लागू होंगे.

(iv) सेवारत अभ्यर्थी की नियुक्ति होने की स्थिति में उसे अपने नियोक्ता संस्थान में line बनाये रखने की सुविधा प्राप्त रहेगी.

6. **आवेदन कौन कर सकता है :—**

i. छ.रा. विद्युत कंपनीज में कार्यरत या सेवानिवृत्त ऐसे मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक जो ऊपर तालिका में दर्शायी अनिवार्य अर्हता पूर्ण करते हों.

ii. केन्द्रीय सेक्टर/अन्य राज्यों की पॉवर यूटिलिटीज में कार्यरत अधिकारी या उनके सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जो ऊपर तालिका में दर्शायी अनिवार्य अर्हता पूर्ण करते हों.

7. **आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—**

i. आवेदन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर 492002 को सम्बोधित करते हुए स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना चाहिए.

ii. सेवारत अभ्यर्थी को अपने आवेदन की एक प्रति सीधे ऊर्जा विभाग को तथा दूसरी प्रति अपने नियोक्ता संस्थान के माध्यम से ऊर्जा विभाग को भेजनी चाहिए.

iii. सेवानिवृत्त अभ्यर्थी को अपने आवेदन सीधे ऊर्जा विभाग को भेजना चाहिए.

iv. सीधे ऊर्जा विभाग को भेजे जाने वाला आवेदन इस विज्ञापन के समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर ऊर्जा विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिए.

v. नियोक्ता संस्थान के माध्यम से भेजे जाने वाली प्रति इस विज्ञापन के समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से 35 दिन के भीतर ऊर्जा विभाग में प्राप्त हो जाना चाहिए.

vi. उपरोक्त निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

vii. आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं (आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव) एवं अन्य सुसंगीत योग्यता/अनुभव (यदि कोई हो तो) के प्रमाण के रूप में सुसंगत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम्, विशेष सचिव.

ANNEXURE -I

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT AS DIRECTOR IN CHHATTISGARH STATE POWER COMPANIES [THROUGH PROPER CHANNEL] '*'

(Note : Any column left blank will make the application incomplete and liable for rejection.)

1. Name of the post applied for ____________________

2. (a) Name (as per official records) ____________________

(b) Identification Number (Employee Number) ____________________

(c) Designation of the Applicant (in full) ____________________

(d) Category - Employment Status :- (Please tick as applicable) Officer of a State PSU's /CPSU's

(e) Office Address : ____________________

3. Address for communication ____________________

4. Telephone No: Office __________ Residence __________ FAX No. __________

Mobile No. __________ E-Mail address __________

5. Date of Birth __________ Age as 01.01.2016 __________

6. Eligibility Criteria :

	As per job description	Possessed by the officer	Whether eligible or not
Educational/professional qualifications (alongwith the name of Institutions)			
Pay Scale			
Length of service in eligible pay scale			

7. Positions held during the preceding ten years :-

Sl. No.	Designation, and place of posting	Organisation	From	To	Pay Scale
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

'*' Note: Not applicable if applicant has retired from service.

7(a). Details of experience relevant for the advertised post and job description, out of 7 above:

Sl. No.	Designation, and place of posting	Organization	From	To	Pay Scale	Nature of experience.
1.						
2.						
3.						
4.						

Note : 1. You may attach a write up, if you wish, **not exceeding two pages,** in support of your candidature.

2. Full form of all abbreviations used while making entries in the application form should be suitably explained i.e. in footnotes or a separate attachment.

8 (A) Do you hold lien in any other organization other than where currently working ?

Yes	No

If yes:

(a) Name of the organization in which the lien is held :-
(b) Date from which the lien is held :-

(B) Are you on deputation ?

Yes	No

If yes:

Date from which you have been on deputation :-

9.(a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years.

Yes	No

If yes, the details thereof

(b) Whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes.

Yes	No

If yes, the details thereof

CERTIFICATE

I certify that the details furnished by me in Cols. 1 to 9 are true to the best of my knowledge and belief.

UNDERTAKING

I hereby undertake to join the post, if selected. I understand that if I convey my unwillingness to join after the interview is held, but before the appointment is processed, or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of two years for being considered for Board level post in any of the Chhattisgarh State Power Company.

(Name and Signature of the applicant)

Date:

(To be filled by the State PSU /CPSU /Ministry / Department concerned)

It is certified that the particulars furnished above have been scrutinized and found to be correct as per official records.

Signature & Designation of
the Competent Forwarding
Authority with Telephone No. & Office Seal.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13373/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चारपारा प.ह.नं. 04	0.226	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	नगझर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13384/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बड़े सीपत प.ह.नं. 12	0.450	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	रबेली उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13385/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	जोंगरा प.ह.नं. 09	0.085	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 05 खरसिया, जिला-रायगढ़.	भेड़ापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13390/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बसंतपुर प.ह.नं. 01	1.790	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06 नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत मोंहदी एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 13391/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	अमझर प.ह.नं. 01	1.794	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा.	कुदरी बैराज अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 67/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	कपसियाकला प.ह.नं. 31	13.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 24/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-तखतपुर
(ग) नगर/ग्राम-लमेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.134 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157	0.121
155/1	0.101
155/2	0.081
158, 159/1	0.004
159/2	0.097
162	0.101
161	0.121
163/1	0.020
163/4	0.061
163/3	0.324
167/1	0.020
165	0.101
167/2	0.020
167/3	0.162
164	0.129
576	0.202
573/1, 574	0.020
1361/2	0.020
1360/3	0.081
578/21	0.142
1392/2	0.121
1394/1	0.081
1407/1	0.077
1407/2	0.081
1406/1	0.243
1410	0.182
1411/1	0.101
1411/2	0.020
1412/1	0.162
1440/2	0.179
1441/1	0.081
1442	0.081
1443	0.101
1446	0.040
1444	0.202
1445	0.121
396/3	0.077
396/1	0.162
396/2	0.081
397/4	0.061
1194/2	0.162
1194/3	0.065
1180	0.081
1194/4, 1194/5	0.162
1195/2	0.121
1196/2, 1196/3, 1196/4	0.142
1353	0.061
1350	0.085
1333/1	0.061
1351/1	0.137
1351/3	0.061
1351/2	0.020
1352	0.101
1332/1	0.121
1330/2	0.049
1320	0.174
1325/1	0.040
1332/2	0.121
578/2	0.182
578/11	0.121
1393/1	0.101
578/8	0.162
578/3	0.162
578/1	0.081
578/14	0.114
578/7, 580	0.325
578/13	0.162
578/5	0.020
580/2	0.385

(1)	(2)	(1)	(2)
580/5	0.061	625/1	0.032
1361/1	0.263	627	0.182
1363	0.020	626	0.182
1388/1	0.101	628, 632/7	0.121
1362	0.061	634/1, 635/2	0.081
1378	0.061	1333/2	0.061
1383	0.061	1313, 1314	0.121
1364	0.069	1334	0.061
1365/1	0.024	1331/1	0.101
1360/2	0.020	1331/2	0.182
1358/1	0.162	1329	0.182
1365/2	0.081	1327/2	0.012
1360/1	0.061	1326	0.142
1358/3	0.162	1321	0.061
1357/2	0.162	1319	0.101
1367	0.121	1544	0.061
1368	0.081	1315/2	0.036
1370/1, 1370/2, 1370/3, 1370/4	0.101	1312	0.020
1357/1	0.121	1299	0.081
1371, 1372	0.020	1301	0.028
394	0.202	1302	0.202
392/2	0.020	1303/1	0.081
390/2	0.194	1290/1	0.097
391/1	0.113	1536	0.020
391/2	0.158	1290/3	0.081
395/1	0.020	1290/2	0.012
390/1	0.012	1257, 1258	0.101
392/3	0.020	1259	0.384
380/1	0.081	1260/1, 1260/2, 1261	0.162
380/2	0.202	1561	0.020
380/3	0.081	1538	0.073
380/4	0.101	1539	0.040
379/1	0.101	1537	0.162
589/2	0.036	1532	0.061
1300	0.061	1533	0.081
727/1, 727/2	0.364	1534	0.040
593	0.020	1527	0.101
606/2	0.271	1526/1	0.101
606/1	0.364	1375/3	0.020
606/3, 607/1	0.020	1375/6	0.008
606/4	0.081	1356/1	0.251
607/2	0.081	1382/2	0.182
605/1	0.061	1355	0.081
617	0.101	1376/2	0.061
616	0.263	1354/1	0.202
611	0.162	1379	0.182
612	0.202	1385	0.101
613	0.223	1440/1	0.040

(1)	(2)
1388/2	0.061
1389/2	0.162
632/2, 634/2, 635/2	0.364
632/1	0.020
634/4, 635/3	0.040
632/5	0.182
1186/1	0.162
1187	0.061
1186/2	0.081
1305	0.020
1191	0.283
632/4, 633, 634/5, 635/5	0.008
1522/1, 1522/2, 1523	0.056
1524, 1525, 1526/3	0.024
1515/12	0.101
1515/13	0.028
1515/5	0.121
1515/20	0.073
1515/19	0.077
1515/24	0.008
1566/3	0.073
1569/1	0.105
1569/3	0.040
योग 197	20.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्रमांक/539/ELU/डौण्डी/नग्रानि/2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट डौण्डी निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

डौण्डी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खैरवाही, औराटोला, डौण्डी (ग्राम उकारी, न.पं. डौण्डी में शामिल) एवं गंगोलीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गंगोलीडीह, कांडे एवं अवारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम अवारी एवं छिंदगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छिंदगांव, बेलरगोंदी उर्फ सल्हाईटोला एवं खैरवाही ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल - कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद.

No./539/T&CP/D.P./Dondi/2016.—Notice is hereby given for the general information of the Public that exisiting land use map & register of Dondi Planning area so prepared under published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam. 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provisions of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Dondi Planning Area

NORTH : Village Khairwahi, Auratola, Dondi (Vill. Ukari included in Nagar Panchayat Dondi) Village-Gangolidih up to North Boundary.
EAST : Village Gangolidih, Kande, Village Awari up to East Boundary.
SOUTH : Village, Awari Village Chhindgaon up to South Boundary.
WEST : Village Chhindgaon, VBelargondi (Salhaitola) Village Khairwahi up to West Boundary.

That said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office of the Assistant Director Town & Country Planning, Balod.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक 228/दो-2-2/2009.—श्री प्रदीप कुमार दवे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर दिनांक 31-07-2016 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक 229/दो-3-17/2008.—श्री बीरसिंह सलाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी दिनांक 30-06-2016 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक 230/दो-3-17/2008.—श्री बीरसिंह सलाम, तत्कालीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अम्बिकापुर वर्तमान सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-05-2016 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 1st September 2016

No. 635/Confdl./2016/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Deepak Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Inspection and Enquiry), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is assigned the charge of Selection and Appointment Cell in addition to his own duties till further orders.

By order of Hon,ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 7th September 2016

No. 70/L.G./2016/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 05 days from 01-08-2016 to 05-08-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th September 2016

No. 71/L.G./2016/II-2-12/2009.—Shri Ashok Kumar Goyal, Judge Family Court, Jashpur is hereby, grnated earned leave for 04 days from 16-08-2016 to 19-08-2016 along with permission to leave headquarters from 13-08-2016 to 19-08-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+03 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th September 2016

No. 72/L.G./2016/II-2-10/2015.—Shri Satyendra Kumar Sahu the then III Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 08-08-2016 to 11-08-2016 along with permission to leave headquarters from 07-08-2016 to 11-08-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 113 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th September 2016

No. 73/L.G./2016/II-03-04/2014.—Shri Hemant Saraf, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 03 days from 28-07-2016 to 30-07-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saraf, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 156 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 7th September 2016

No. 74/L.G./2016/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 31-08-2016 to 03-09-2016 along with permission to leave headquarters from the evening of 30-08-2016 till the evening of 05-09-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 285 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHOUHAN, Additional Registrar (ADMN.).